रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 2006/वैशाख 22, 1928
No. 480] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2006/VAISAKHA 22, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2006

आयकर

**का.आ.704(अ).**—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 200 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 295 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट II के प्रारूप सं. 24 थ में,—

(i) क्र. सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5. संदत्त वेतन के ब्यौरे और कर्मचारियों से उस पर काटा गया कर [(i) सुसंगत तिमाही के लिए विवरण जिसके साथ प्रत्येक तिमाही विवरण उपाबंध I में संलग्न करें; (ii) 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए, जिसमें संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए ब्यौरे हों अंतिम तिमाही विवरण के साथ अर्थात् उपाबंध II में संलग्न करें]";

(ii) प्रारूप के अंत में एवं उपाबंध I से पूर्व टिप्पण में,—

(क) टिप्पण (4) के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) वेतन जिसके अंतर्गत मजदूरी, वार्षिकी, पेंशन, उपादान [धारा 10 (10) के अधीन छूट-प्राप्त से भिन्न], फीस, कमीशन, बोनस, अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अधीन जमा की गई रकम का प्रतिसंदाय, परिलब्धि (जिसके अंतर्गत आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय 12-ज के अधीन न आने वाले किसी अन्य सीमावर्ती फायदे या सुख-सुविधाओं का मूल्य नहीं है) किसी वेतनमान या मजदूरी के लिए लाभ के स्थान पर या इसके अतिरिक्त जिसके अंतर्गत नियोजन की समाप्ति पर या उसके संबंध में, वेतन का अग्रिम, न ली गई छुट्टी की किसी अवधि के बाबत प्राप्त कोई संदाय भी है। [धारा 10 (10कक) के अधीन छूट से भिन्न];"

आयकर अधिनियम, 1961 की चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 6 के अनुसरण में कर के लिए प्रभार्य किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में लेखा का अतिशेष के लिए कोई वार्षिक अनुवृद्धि, आयकर अधिनियम, 1961 की चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 11 के

उप-नियम (4) के अनुसरण में कर्मचारी द्वारा प्राप्त कोई रकम, आय समझी जाएगी, धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया कोई अभिदाय या "वेतन" शीर्ष के अधीन आयकर के लिए प्रभार्य कोई अन्य रकम";

(ख) टिप्पण (5) के बाद निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(5क) प्ररूप के क्रम सं. 4 पर ब्यौरे दिए जाएं और उपाबंध I में संदत्त वेतन और सुसंगत तिमाही के लिए उस पर टीडीएस अंतर्विष्ट के आंकड़े होंगे।";

(iii) उपाबंध II और उपाबंध III के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : —

**"उपाबंध**

**वित्त वर्ष ......... के दौरान संदेय/जमा किए गए वेतन का ब्यौरा और संदेय शुद्ध कर**

| 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | | 332 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | कर्मचारी का स्थायी लेखा संख्या (पेन) | कर्मचारी का नाम | स्त्री के लिए 'डब्ल्यू', वरिष्ठ नागरिक के लिए 'एस' और अन्य के लिए 'जी' लिखें | तारीख से तारीख तक | जिसमें वर्तमान नियोक्ता के साथ नियोजित हैं | वेतन की कुल रकम (प्रारूप के अंत में टिप्पण 4 देखें) |

| 333 | 334 | 335 | 336 | 337 |
|---|---|---|---|---|
| धारा 16(ii) और 16 (iii) के अधीन कुल कटौती (प्रत्येक कटौती अलग-अलग विनिर्दिष्ट करें) | "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभारित आय (स्तंभ 332 से 333 घटाएं) | स्रोत पर कटौती धारा 192(2ख) के लिए दी गई "वेतन" शीर्ष से भिन्न किसी शीर्ष से अधीन आय, (जिसमें मकान संपत्ति से हुई हानि सम्मिलित है) | सकल कुल आय (स्तंभ 334 और 335 का कुल) | धारा 80ग, 80गगग और 80गगघ के अधीन कटौतियों की कुल रकम (धारा 80गगङ में विनिर्दिष्ट सीमा रकम का कुल हो)। |

| 338 | 339 | 340 | 341 | 342 |
|---|---|---|---|---|
| अध्याय 6-क के अन्य उपबंधों के अधीन कटौती योग्य रकम | धारा 6-क के अधीन कटौती योग्य कुल रकम (स्तंभ 337 और 338 का कुल) | कुल कराधेय आय (स्तंभ 336 से स्तंभ 339 घटाएं) | कुल कर-(i) कुल आय कर आयकर | (ii) अधिभार |

| 343 | 344 | 345 | 346 | 347 |
|---|---|---|---|---|
| (iii) शिक्षा उपकर | धारा 89 के अधीन आयकर अनुतोष, जब वेतन इत्यादि, बकाया या अग्रिम में संदत्त है | शुद्ध संदेय कर (स्तंभ 341+342+343-344) | संपूर्ण वर्ष के लिए स्रोत पर कटवाए कर की कुल रकम (प्रत्येक कर्मचारी के बाबत सभी चारों तिमाहियों के लिए उपाबंध I के स्तंभ 322 में रकम का कुल) | कर कटौती में कमी (+)/ अधिक कर कटौती (-) [स्तंभ 345 से स्तंभ 346 घटाएं]" |

[अधिसूचना सं. 119/2006/फा. सं. 142/3/2006-टीपीएल]

ए. श्रीनिवासन राव, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2006 अधिसूचना सं. का.आ. 459(अ), तारीख 30-3-2006 द्वारा प्रकाशित किए गए।